अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर और आर. एस. नरूला के समक्ष,

पीरभू,-अपीलकर्ता

बनाम

भिरका और अन्य,-प्रतिवादी

पत्र पेटेंट अपील संख्या 1968 का 372

1968 का सिविल विविध 4451

29 जनवरी, 1969

24 फ़रवरी 1969

पंजाब उच्च न्यायालय के नियम और आदेश - खंड V, अध्याय 1 -ए - नियम 4 – परिसीमा अधिनियम (1963 का XXXVI) - धारा 4 - का संयुक्त प्रभाव - कहा गया - एक पत्र पेटेंट अपील के लिए सीमा की अवधि - धारा 4 का लाभ - क्या दो बार लिया जा सकता है - अपीलकर्ता इसके लिए आवेदन कर रहा है कि धारा 4 का लाभ उठाते हुए परिसीमा के अंतिम दिन प्रमाणपत्र - ऐसा अपीलकर्ता कया अपनी अपील को परिसीमा के भीतर लाने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद छुट्टियों का एक और सेट संलग्न कर सकता है।

अभिरनिधारित किया गया कि पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V के अध्याय 1-ए के नियम 4 के तहत किसी भी पत्र पेटेंट अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है, यदि अपील किए गए निर्णय की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। इस सीमा अवधि की गणना में न्यायाधीश से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगने वाले समय को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। परिसीमा अधिनियम की धारा 4 किसी भी तरह से परिसीमा की अवधि को नहीं बढ़ाती है और न ही समय की गणना के लिए कोई डेटा प्रस्तुत करती है। यह वास्तव में क्या करता है कि यदि किसी क़ानून द्वारा किसी कार्य को करने या कार्यवाही करने की अनुमति दी गई समय उस दिन समाप्त हो जाता है जब गिनती बंद हो जाती है तो यह न्यायालय की अगली बैठक में किया जा सकता है। कानून के इन दो प्रावधानों का संयुक्त प्रभाव यह है कि लेटर्स पेटेंट अपील के मामले में सीमा की अवधि की गणना अलग से करनी होगी और एकल पीठ का फैसला आने पर समय चलना शुरू हो जाएगा। अपीलकर्ता इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि प्रमाणपत्र वास्तव में छुट्टियों के दिन दिया गया है। एकल पीठ का फैसला सुनाए

जाने पर उसके सामने कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले उसे अपील की अनुमति के लिए न्यायाधीश से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, लेकिन यदि वह परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के सक्षम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस मामले को परिसीमा के अंतिम दिन तक विलंबित करता है, तो वह अपनी अपील को सीमा अवधि के भीतर लाने के लिए छुट्टियों को बाद में किसी अन्य सेट से संलग्न नहीं कर सकता है। । यदि ऐसा है, तो इससे ऐसी विषम स्थिति पैदा हो जाएगी कि एक पक्ष धारा 4 के प्रावधानों का दो बार से अधिक लाभ उठा सकता है।

(पैरा 6, 7 एवं 9)

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया के दिनांक 25 जनवरी, 1968 के फैसले के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील।

अपीलार्थी की ओर से यू.डी. गौड़, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से रूप चंद, अधिवक्ता।

आदेश, दिनांक 29 जनवरी, 1969

न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर, -पीरभू ने बिरखा और अन्य लोगों के खिलाफ मदीना गैंद्रन गांव में कृषि भूमि पर कब्जे के लिए इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि उसे जबरन जमीन से हटा दिया गया था। प्रतिवादियों ने परिसीमा और प्रतिकूल कब्जे का अनुरोध किया। हालाँकि ट्रायल कोर्ट ने इस मुकदमे पर फैसला सुनाया था लेकिन निचली अपीलीय अदालत के फैसले से इसे खारिज कर दिया गया था। 1962 की नियमित दूसरी अपील संख्या 640 में न्यायमूर्ति सरकारिया ने 25 जनवरी, 1968 को पीरभू की अपील को खारिज कर दिया। सरकारिया, जे. के फैसले की प्रति, जिसके लिए 27 जनवरी, 1968 को आवेदन किया गया था, डिलीवरी के लिए तैयार थी। 13 मार्च 1968 को पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 4 के तहत, खंड V, अध्याय 1-ए: -

> "लेटर पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील के किसी भी ज्ञापन पर विचार नहीं किया जाएगा यदि निर्णय की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है जिससे अपील की गई है, जब तक कि......ऐसे अपील का ज्ञापन न दिया जाए अपील किए गए निर्णय की प्रति के साथ संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपील का एक ज्ञापन जिसके लिए खंड 10 के तहत एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसमें इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि न्यायाधीश, जिसने निर्णय पारित किया है, ने प्रमाणित किया है कि मामला सही है। अपील के लिए उपयुक्त न्यायाधीश से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बिताया गया समय (आवेदन की तारीख

और वह तारीख जिस पर न्यायाधीश ने आदेश पारित किया) को परिसीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(2) फैसले की प्रति प्राप्त करने में लगे समय को ध्यान में रखते हुए, पत्र पेटेंट दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल, 1968 थी। उस तारीख को प्रमाण पत्र देने के लिए एक आवेदन किया गया था और इसे समय पर स्वीकार कर लिया गया था। । प्रमाणपत्र विद्वान न्यायाधीश द्वारा 12 जुलाई, 1968 को प्रदान किया गया था। चूंकि आवेदक ने प्रतियों के लिए अनुमेय अवधि समाप्त कर ली है, पत्र पेटेंट अपील 12 जुलाई, 1968 को दायर की जानी थी। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया और अपील की गई 15 जुलाई, 1968 को दायर किया गया था। देरी की माफी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन में, यह अनुरोध किया गया है कि 13 और 14 जुलाई, 1968 को छुट्टियां थीं और अपील 15 तारीख को प्रतियों के रूप में दायर की गई थी क्योंकि न्यायमूर्ति सरकारिया का निर्णय और और अन्य कागजात टाइप करने थे।

(3) दोनों पत्र पेटेंट अपील और समय विस्तार के लिए आवेदन 9 अक्टूबर 1968 को मोशन बेंच द्वारा स्वीकार किए गए थे। यह केवल सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन है जो निपटान के लिए हमारे सामने है।

(4) श्री गौड़ के अनुसार, अपील दायर करने से पहले टाइपिंग का बहुत काम करना पड़ा और "उपरोक्त सामग्री को टाइप करना, तुलना करना और उचित क्रम में व्यवस्थित करना 12 जुलाई, 1968 को शाम 4 बजे तक पूरा नहीं किया जा सका। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपीलकर्ता ने परिसीमा के अंतिम दिन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करने में एक परिकलित जोखिम लिया था। यह अनुमान लगाया जाना चाहिए था कि प्रमाण पत्र देने के बाद काम एक दिन से अधिक का होगा और एक दिन का मार्जिन रखने में विफल रहने पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने उस परिश्रम का प्रयोग नहीं किया जिसकी उससे अपेक्षा की गई थी। हमारा ध्यान **रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड**[1] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर आकर्षित हुआ है, जहां न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर (बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश) ने कहा था कि: -

> "अपील के लिए निर्धारित सीमा अवधि के दौरान अपनी गैर-परिश्रमशीलता के लिए अपीलकर्ता की विफलता उसे धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए प्रार्थना करने से अयोग्य नहीं ठहराती है।"

---

[1] ए.आई.आर.1962 एस.सी 361.

विद्वान वकील की दलील है कि भले ही अपीलकर्ता ने अंतिम दिन सीमा समाप्ति पर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दायर किया था, इस निष्क्रियता को धारा 5 के तहत उसके वर्तमान आवेदन में ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। यह अपीलकर्ता के ज्ञान में था कि आवेदन ठीक उसी समय किया गया जब उसने अपील की समय सीमा समाप्त कर ली थी, और इन परिस्थितियों में यह उसका परम कर्तव्य था कि वह उस दिन अपील दायर करने की व्यवस्था करे जब प्रमाण पत्र दिया गया था। न्यायमूर्ति सरकारिया के फैसले और अपील के ज्ञापन में टाइपिंग का ज्यादा काम शामिल नहीं था, किसी भी दर पर, यह कठिनाई पार करने योग्य थी और इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए था। जैसा कि श्री न्यायमूर्ति वेंकटराम अय्यर ने **दीनबंधु बनाम जादुमोनी**[2] में कहा था, "'पर्याप्त कारण' शब्द को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब अपीलकर्ता के लिए कोई लापरवाही, निष्क्रियता या सद्भावना की कमी न हो।"। 'पर्याप्त कारण', दूसरे शब्दों में, कसूरवार पक्ष द्वारा दिखाए गए परिश्रम से संबंधित है। वर्तमान उदाहरण में, हम नहीं देखते हैं कि अपीलकर्ता किसी भी छूट का हकदार है, और हम तदनुसार परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इस आवेदन को खारिज कर देंगे। इन परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देंगे। लेटर्स पेटेंट अपील को निपटान के लिए अलग से सूचीबद्ध किया जाए।

न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर,.- इसे 29 जनवरी, 1969 को हमारे द्वारा के सिविल विविध 1968 की 4551 में पारित आदेश की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत देरी की माफी के लिए आवेदक के दावे 1968 के लेटर्स पेटेंट अपील 372 को दाखिल करने के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। सामान्य प्रक्रिया में अपील स्वचालित रूप से खारिज कर दी जाती, लेकिन अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री यू.डी. गौड़ ने जोरदार तर्क दिया कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन अनजाने में किया गया था। और यह कि अपील वास्तव में समय से बाधित नहीं थी। यदि श्री गौड़ का तर्क सही है तो विलम्ब माफी का आवेदन और उस पर 29 जनवरी 1969 को दिया गया निर्णय निःसंदेह अतिश्योक्तिपूर्ण माना जायेगा।

(6) तथ्यों को दोहराने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय 25 जनवरी, 1968 को सुनाया गया था। प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन 27 जनवरी, 1968 को किया गया था। प्रतिलिपि 13 मार्च, 1968 को आपूर्ति की गई थी। अनुदान के लिए आवेदन अपील की अनुमति के लिए एक प्रमाणपत्र 15 अप्रैल, 1968 को दायर किया गया था। यह सामान्य आधार है कि आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के

[2] ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 411

प्रावधानों के मद्देनजर समय पर दायर किया गया था, जो कहता है कि यदि परिसीमा का अंतिम दिन पड़ता है न्यायालय का अवकाश होने पर अपील या आवेदन अगले कार्य दिवस पर किया जा सकता है। आम तौर पर, अपील और आवेदन की सीमा 12 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो गई, लेकिन 13 और 14 जुलाई को छुट्टियां होने के कारण, आवेदन 15 अप्रैल, 1968 को दायर किया गया था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र 12 जुलाई, 1968 को प्रदान किया गया था। 13 और 14 जुलाई को छुट्टियाँ थीं और लेटर्स पेटेंट अपील वास्तव में 15 जुलाई, 1968 को दायर की गई थी। श्री गौड़ द्वारा बताया गया है कि पंजाब उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय I-ए के नियम 4 के तहत, खंड V से संबंधित है। लेटर्स पेटेंट अपील्स "न्यायाधीश से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बिताया गया समय (आवेदन की तारीख और जिस तारीख को न्यायाधीश ने आदेश पारित किया था) को सीमा की अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा"। विद्वान वकील की दलील यह है कि यदि 15 अप्रैल, 1968, जब आवेदन किया गया था और 12 जुलाई, 1968, जब प्रमाण पत्र दिया गया था, दोनों को बाहर रखा गया है, तो अपील समय के भीतर होगी, यह मानते हुए कि आवेदन के लिए किया गया था। प्रमाण पत्र समय पर प्रदान किया गया। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में, हमें अपीलकर्ता की स्थिति को स्वीकार करना होगा कि वह परिसीमा अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों का लाभ दो बार से अधिक उठाने का हकदार है। परिसीमा अधिनियम की धारा 4 बस यही कहती है-

> "जहां किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि उस दिन समाप्त हो जाती है जब न्यायालय बंद होता है, मुकदमा, अपील या आवेदन शुरू किया जा सकता है; जिस दिन न्यायालय दोबारा खुलेगा उस दिन प्राथमिकता दी जाएगी या बनाई जाएगी।''

जैसा कि सर्वविदित है, यह खंड किसी भी तरह से सीमा अवधि का विस्तार नहीं करता है और न ही समय की गणना के लिए कोई तथ्य प्रस्तुत करता है। यह वास्तव में क्या करता है कि यदि किसी कार्य को करने या कार्यवाही करने के लिए क़ानून द्वारा अनुमत समय उस दिन समाप्त हो जाता है जब न्यायालय बंद होता है, तो इसे न्यायालय की अगली बैठक में किया जा सकता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए दिनों की अनुमति देते हुए, सीमा अधिनियम की धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन अंतिम दिन दायर किया गया था। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में सैंतालीस दिन व्यतीत हो गये। इसे सीमा की अवधि में जोड़कर, जो कि तीस दिन है, आवेदक ने सत्तर दिनों की सीमा अवधि का लाभ उठाया है और यह 12 अप्रैल, 1968 को समाप्त हो गई है। वह छुट्टी होने के कारण और उसके बाद के दो दिन भी, का आवेदन 15 अप्रैल 1968 को समय रहते दाखिल कर दिया गया।

(7) उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अध्याय I-ए के नियम 4 के तहत पत्र पेटेंट अपील, खंड V. "अपील किए गए फैसले की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किए जाने पर विचार किया जाएगा" और प्राप्त करने में लगने वाला समय परिसीमा की अवधि की गणना में न्यायाधीश के प्रमाणपत्र को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या है? अपील के मामले में परिसीमा की अवधि की गणना अलग से की जानी है और समय 25 जनवरी, 1968 से चलना शुरू होगा, जब एकल पीठ का फैसला सुनाया गया था। यह सामान्य आधार है कि यदि अवधि की गणना इस सिद्धांत पर की जाती है तो अपील दायर करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 1968 थी। अपीलकर्ता इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता कि प्रमाणपत्र वास्तव में 12 जुलाई, 1968 को प्रदान किया गया था, और वह दिन को गणना से बाहर रखा जाना चाहिए और निम्नलिखित दो दिन, अर्थात् 13 और 14 जुलाई, 1968; छुट्टियाँ थीं।

(8) श्री गौड़ ने **माउंट चिंटो बनाम नरिंजन सिंह (3)** में मुख्य न्यायाधीश भंडारी और टेक चंद, जे. की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जहां मुख्य न्यायाधीश भंडारी ने न्यायालय के लिए बोलते हुए कहा था, -

> ''यह सीमा के कानून का सार है कि जिस क्षण मुकदमा करने का अधिकार पूरी तरह से अर्जित हो जाता है या जिस क्षण कार्रवाई शुरू करने का अधिकार अस्तित्व में आता है, कार्रवाई के कारण के रूप में समय इसके तहत चलना शुरू हो जाता है। यदि कार्रवाई के अधिकार से पहले कोई शर्त है तो कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है और जब तक वह शर्त पूरी नहीं हो जाती, तब तक सीमा लागू नहीं होती है।"

(9) जब विद्वान एकल न्यायाधीश का फैसला सुनाया गया तो अपीलकर्ता के सामने कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ। सच है, उसे पहले अपील की अनुमति के लिए न्यायाधीश से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्राप्त करना था, लेकिन यदि उसने धारा 4 के सक्षम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस मामले को परिसीमा के अंतिम दिन तक विलंबित कर दिया, तो वह बाद में छुट्टियों का एक और सेट संलग्न नहीं कर सकता है कि परिसीमा अवधि को 15 जुलाई 1968 तक लाएँ। यदि ऐसा होता, तो इससे ऐसी विषम स्थिति पैदा हो जाती कि एक पक्ष धारा 4 के प्रावधानों का दो बार लाभ उठा सकता है। अपीलकर्ता के दुर्भाग्य, यदि कोई हो, छुट्टी प्राप्त करने की समय सीमा के अंतिम दिन कार्रवाई करने के लिए उसे निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अपीलकर्ता को पता होना चाहिए था कि अपील का समय पहले ही समाप्त हो चुका था और केवल 12 से 14 अप्रैल, 1968 तक की छुट्टियों के कारण उसने समय पर छुट्टी के लिए आवेदन किया था। हमारे सामने प्रस्तुत की गई संबंधित कठिनाइयों का अनुमान अपीलकर्ता को होना

चाहिए था, जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों या घटनाओं से दंडित किया गया है। खेद के साथ हम श्री गौड़ की दलील को स्वीकार नहीं कर सकते और हमें यह मानना होगा कि अपील समय से परे दायर की गई थी। हम विलंब माफ़ी के उनके आवेदन को ख़ारिज करने के अपने आदेश की समीक्षा करने में असमर्थ हैं।

(10) परिणामस्वरूप, यह अपील विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला,.- मैं सहमत हूं।

के.एस.के.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी